



Neutral Citation No. 2026:AHC:60701

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जमानत आवेदन संख्या- 2350 वर्ष 2026

आलम @ तोतला

..आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : पवन कुमार शुक्ला

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक आलम @ तोतला की ओर से दायर किया गया है, जिसमें थाना सिविल लाइंस, जिला मुरादाबाद में पंजीकृत केस अपराध संख्या 899 वर्ष 2025, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 1.076 किलोग्राम चरस बरामद होना बताया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 25.11.2025

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से 1.076 किलोग्राम चरस बरामद होना बताया गया है, लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन किया कि पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 1.076 किलोग्राम चरस बरामद होना बताया गया है और पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना बताया गया है और वह 25.11.2025 से जेल में बंद है।
6. तथ्यों की समग्रता, रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों की प्रकृति और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 को ध्यान में रखते हुए और गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपरोक्त केस अपराध में शामिल आवेदक- आलम @ तोतला की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बांड और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं डालेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iii) आवेदक (i) मामला खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. (B.N.S.S.) की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब ट्रायल कोर्ट में गवाह मौजूद होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुणों पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

23 मार्च, 2026

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।